In the Court of Addl. Sess. Judge 1 cum Special Judge, Kaimur at Bhabua

I.A No.- 01 of 2022 in S. Tr. Reg. Case No. 157/2021

Mahila P.S. No. 87/2020

State Vs. Saudagar Kuraisi

12.04.2022 अभियुक्त 1. शौदागर कुरैसी की ओर से न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत का आवेदन दाखिल किया गया। इसकी प्रति अभियोजन को प्राप्त है। जमानत आवेदन प्रचालित हुआ। आवेदन पर उभयपक्षों को सुना।

बचाव पक्ष का कहना है कि प्रार्थी निर्दोश है। इसे झूठे मुकदमा में मुदालय बनाया गया है। श्रीमान् द्वारा दिनांक 11.04.2022 को बंधपत्र खंडित किया गया है। उक्त तिथि को अभियुक्त न्यायालय में आया था, लेकिन अधिवक्ता के द्वारा भूलवश हाजिरी पत्र पर अभियुक्त का निशान नही लिया जा सका तथा बिना निशान लिए ही हाजिरी दाखिल कर दिया गया तथा पुकार पर अभियुक्त उपस्थित नही हुआ जिसके कारण श्रीमान के द्वारा अभियुक्त का बंधपत्र खंडित किया गया। अभियुक्त श्रीमान् के आदेश के विरूद्ध किसी वरीय न्यायालय में अग्रिम या नियमित जमानत पत्र दाखिल नही किया है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है तथा न्यायालय के आदेश का दूरूपयोग नही किया है। रमजान माह रहने के कारण अभियुक्त उपवास पर था तथा धूप–लहर से बचने के लिए उसने कचहरी कैंपस के मन्दिर पर जाकर लेट गया था एवं पुकार पर उपस्थित नही हुआ। अभियुक्त भविष्य में श्रीमान् के हर आदेश को पालन करने को तैयार है तथा प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित भी रहेगा। अतः अभियुक्त को उचित बंधपत्र पर जमानत दिया जाय।

अभियोजन के द्वारा जमानत का विरोध किया गया। संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त द्वारा बिना निशान के हाजिरी दी गई थी तथा बार–बार पुकार होने पर भी न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण, अभियुक्त का बंधपत्र दिनांक 11.04.2022 खंडित किया गया हैं। चूकि आज अभियुक्त स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण किए है तथा भविष्य में ऐसी गलती नही करने का वचन देता

है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थियों के आलोक में इस अभियुक्त को मो0 10,000/— रूपया का बंध पत्र तथा इसी राशि के समान दो प्रतिभू देने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में सदैह उपस्थित रहेंगे।

(लेखापित)

Sd./-

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

सह विशेष न्यायाधीश,

पश्चात्

12.04.2022 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से बंधपत्र दाखिल किया गया जिसे जाचोउपरांत सही पाकर Accepted किया गया।

(लेखापित)

Sd./-

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

सह विशेष न्यायाधीश,